



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1914]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2012/आश्विन 2, 1934

No. 1914]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2012/ASVINA 2, 1934

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2012

का.आ. 2288(अ).—केन्द्रीय सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में 18 सितम्बर, 2008 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3 के उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तारीख 18 सितम्बर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2233 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में भाग-I एवं II के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“अनुसूची

भाग-I मजदूरी की मूल दरें

क्षेत्र	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
(1)	(2)
बिना आयुध	
क	200 रुपए
ख	170 रुपए
ग	140 रुपए

आयुध सहित	
क	220 रुपए
ख	200 रुपए
ग	170 रुपए
भाग-II परिवर्ती महंगाई भत्ते की दर	जुलाई-दिसम्बर, 2007 की अवधि के लिए (आधार 2001 =100) औद्योगिक कर्मकारों के लिए औसत मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 133 अंक से प्रत्येक अंक की उछाल अथवा गिरावट के लिए परिवर्ती महंगाई भत्ते की दर
क्षेत्र	परिवर्ती महंगाई भत्ता (रुपये में)
(1)	(2)
बिना आयुध	
क	1.50
ख	1.28
ग	1.05
आयुध सहित	
क	1.65
ख	1.50
ग	1.28 "

[फा. सं. एस-32017/1/2012-डब्ल्यू सी]
पी. के. पादी, प्रधान श्रम एवं रोजगार सलाहकार

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 2233(अ), तारीख 18 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2012

S.O. 2288(E).—In pursuance of clause (b) of sub section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 2233 (E), dated the 18th September, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part – II, sub-section (ii) section 3 dated the 18th September, 2008, namely :-